समता ज्योति

वर्ष : 16 अंक : 05 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मई, 2025

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

आरक्षण अब रेलवे के डिब्बे जैसा बन गया है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। दरअसल, एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि-हमारे देश में आरक्षण का खेल अब रेलवे जैसा हो गया है। जो लोग डिब्बे में चढ़ गए, वे नहीं चाहते कि कोई और चढ़े। यही खेल यहां भी चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण व्यवस्था की तुलना रेलवे के डिब्बे से की और कहा कि जो लोग एक बार इसमें दाखिल हो जाते हैं, वे दूसरों को अंदर नहीं आने देना चाहते। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता मंगेश शंकर ससाने की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि महाराष्ट्र सरकार की जयंत कुमार बंथिया आयोग ने बिना यह साबित किए कि ओबीसी वर्ग राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया।

याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर जज की टिप्पणी

इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने वकील से कहा, ''हमारे देश में आरक्षण का खेल अब रेलवे जैसा हो गया है। जो लोग डिब्बे में चढ़ गए, वे नहीं चाहते कि कोई और चढ़े। यही खेल यहां भी चल रहा है। याचिकाकर्ता भी इसी खेल का हिस्सा है।'' वकील शंकरनारायणन ने जवाब में कहा कि डिब्बों में पीछे-पीछे और भी डिब्बे जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक पिछड़ापन, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से अलग है और ओबीसी वर्ग को अपने आप राजनीतिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जा सकता।

> हमारे देश में आरक्षण का खेल अब रेलवे जैसा हो गया है। जो लोग डिब्बे में चढ़ गए, वे नहीं चाहते कि कोई और चढ़े। यही खेल यहां भी चल रहा है।

जज और वकील के बीच जमकर हुई बहस

उन्होंने कहा, 'ओबीसी के भीतर भी यह तय किया जाना चाहिए कि कौन राजनीतिक रूप से पिछड़ा है और कौन सामाजिक रूप से, तभी आरक्षण मिलना चाहिए।' इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब समावेशिता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, तो राज्यों को और वर्गों की पहचान करनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा, 'सामाजिक पिछड़े वर्ग होंगे, राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग होंगे और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग भी होंगे। फिर उन्हें लाभ से क्यों वंचित रखा जाए? यह लाभ किसी एक ही परिवार या समूह तक क्यों सीमित रहना चाहिए।'

जातिगत आरक्षण राष्ट्र की एकजुटता के लिए नुकसानदायक: पाराशर नारायण शर्मा

अजमेर। जातिगत आरक्षण व देश में फैल रही वैमनस्यता एवं विषमता राष्ट्र की एकजुटता के लिए बहुत नुकसानदायक और समाज में विभाजन पैदा करने वाली है। ये बात समता आंदोलन के स्थापना महोत्सव पर जनकपुरी में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि यह योग्यता और प्रतिभाओं के साथ उनके अधिकारों के प्रति कुठाराघात है और समता आंदोलन भेदभावपूर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ देश में बदलाव के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लगातार संघर्ष भी करता है और करता रहेगा। इसके लिए समिति आगे की रणनीति बनाकर आन्दोलनकोआग बढाने के लिए और कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट से न्याय प्राप्त करने लिए विधिक कार्यवाही करती आ रही हैए आगे भी इसको जारी रखते हुए भेदभावपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन से लड़ाई को जारी रखकरए अन्याय और शोषण के खिलाफ न्याय के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष के. जी. मोदानी, दिनेश शर्मा, चम्पालाल, अरूण माथुर, डॉ. प्रताप पिंजानी, किरण मेहरा, कौशल जैन, नीरज पारीक, राजेश तिवारी, कश्मीर सिंह, अनिल रांका, उमारानी शेखावत, किशोर शर्मा, प्रकाश पुरोहित, महेश शर्मा, रोहित सारस्वत, आनंद शर्मा, अनुप कुमार सारस्वत, बिजेंद्र शर्मा, राजेश दुबे सहित कई लोग उपस्थित थे।

अलवर ने भी मनाया स्थापना महोत्सव

अलवर। समता आन्दोलन समिति अलवर ने अपना स्थापना दिवस मनाया। प्रवक्ता अशोक आहूजा ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पारासर नारायण शर्मा थे जबकि अध्यक्षता राजस्थान ब्राह्मण सभा के उपाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि योगेन्द्र सिंह राठोर ,ऋषिराज सिंह प्रांतीत अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ व चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष डा0श्याम सुन्दर शर्मा थे। प्रारंभ में पहलगाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के पश्चात व्यंग कवि सुरेन्द्र सार्थक ने मार्मिक कविता पढी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समता आन्दोलन के ध्येय वाक्य मानव मानव एक समान और राष्ट्र प्रथम को विस्तार से बताया। समतामूलक समाज की स्थापना हेतु समता आन्दोलन की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही सामाजिक समता व सभी को समान अवसर हेतु संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा की।

अध्यक्ष की कलम से

''जाति गणना: शुभमस्तु''

साथियों,

पूरा भारत देश जाति जनगणना को लेकर भ्रम और असमंजस में दिखाई देता है। मोटे तौर पर हम इस को जातिगत आरक्षण दृष्टि से बहुत उपयोगी और दूरगामी निर्णय जैसा मानते हैं। लेकिन हमारा असमंजस इस बात को लेकर है कि जातिगत जनगणना की मांग मूलत: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाई और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस की इतनी माला फेरी कि देवी स्वरूप भारत माता ने इसे स्तुति रूप मानकर 2024 के आम चुनाव का लगभग पूरे बन चुके चित्र को बदल डाला।

खेल इतना बड़ा हुआ कि जहां सत्ताधारी पार्टी को 400 लोकसभा सीटों की कन्फर्म आशा थी वो बहुमत से भी वंचित रह गयी। यदि इच्छित 400 सीटें मिल जातीं तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जात आरक्षण का जुआ भारत के कंधों से अब तक उतर चुका होता।

हालांकि ये दुखद प्रश्न बार बार देखने सुनने को मिल रहा है कि विकास की धारा में रोड़ा बन रहे जाति आरक्षण को नया जीवन देने वाली जाति गणना की आवश्यकता क्यों है? लेकिन जिस तरह से भारत की नस नस में जाति आरक्षण घर कर गया है उसका उपाय भी अंतत: जाति आरक्षण से ही किया जा सकता है। इस लिए सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष का मुद्दा उससे छीन लिया है। हम इस राजनीतिक कौशल के लिए सत्ताधारी पार्टी को साधुवाद देते हैं और मन.प्राण से कहते हैं शुभमस्तु शुभमस्तु।

यदि भारत देश को सबसे ज्यादा आघात पहुंचाने वाले जातिगत आरक्षण को खत्म करने के लिए, संविधान को नया लिखने के लिए सत्ताधारी पार्टी को 400 सीटें चाहिए तो उसके लिए भी- शुभमस्तु शुभमस्तु।

जय समता ।

सम्पादकीय

''जातिगत जनगणना और नया संविधान साथ-साथ हो''

समता आन्दोलन के सभी सदस्य जानते हैं कि आप और हम ने मिलकर विगत 17-18 सालों से संविधानिक शुचिता और शक्ति का प्रयोग करके देश में फैले जाति आरक्षण के जहर को कम करने का ईमानदार प्रयास किया है। लेकिन, जैसा कि लोक व्यवहार में बार-बार देखने-सुनने को मिलता है कि कलियुग में नीति, नैतिकता, ईमानदारी, परोपकार आदि सभी शब्दों पर इनके विलोम शब्द इतने प्रभावी है कि सभी कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है।

जाति आरक्षण की बात करें तो यह धुंधलापनन केवल अंधकार में बदल चुका है बल्कि और, और, और घनीभूत होता जा रहा है। संविधान सभा के सामने जाति आरक्षण एक सामाजिक मुद्दा था जो 1961 तक लगातार जारी रहा। लेकिन इसके ठीक बाद इसका ऐसा राजनीतिकरण होता चला गया कि सामाजिक समरसता का विषय सत्ता प्राप्ति का औजार बन गया। परिणाम ये हुआ कि शुरू में संवैधानिक रूप से स्वीकृत पिछड़ापन शीघ्र ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बदल गया। और ये कृपा की भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ।

वर्तमान में जाति जनगणना का शोर पूर्व की SC, ST, OBC, MBC आदि जातियों का उत्तरार्ध अथवा पूर्वार्ध ये कहना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। पूरे भारतीय लोकतंत्र में मात्र जातीय आरक्षण एक मात्र मुद्दा है जिस पर सत्तापक्ष और विपक्ष पूर्णत: एकमत हैं। बल्कि यूं कहें कि ये मुद्दा एक ऐसा खुला खजाना है जिसे हर कोई लूट लेना चाहता है। लूट भी रहा है और इस भोलेपन का लबादा भी ओढ रखा है कि देश से जातिवादी विषमता समाप्त होनी चाहिये। ऐसा हुआ या नहीं यह तो शोध का विषय है। लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया कि सरकारें और पार्टियाँ इतनी भयभीत हो गई हैं कि देश से योग्यता और गरिमा को लगभग पूरी तरह गायब किया जा चुका है।

समझदार और विवेकशील लोग केवल विचार विमर्श, खोखले नारे और भाषणबाजी तक सीमित रह गया है। और अब जाति जनगणना यदि हो जाती है तो (जो होनी ही है) ये मान लीजिये देश जातियों की धौंसपट्टी का ऐसा अभयारण्य बनने जा रहा है जहा सभ्य और सुसंस्कृत लोग जातियों के तामसिक अहंकार का चारा बनकर रह जायेंगे। जब से दोनो बड़ी पार्टियों सहित सभी दलों का लोकतंत्र को पार्टी तंत्र में बदलने का कुत्सित प्रयास सफल हुआ है तब से विरोध के सारे स्वर सोशल मीडिया के पुरुषार्थतक सीमित हो गये हैं।

हमारा ये मानना है कि यदि कथित राजनैतिक दल सच में भारत और भारतीयता की रक्षा करना चाहते हैं तो जातिगत जनगणना के पूरी होने तक नया संविधान लिखे जाने की प्रक्रिया भी पूरी करने का संकल्प करें। हालांकि स्वार्थ और अनैतिक आचरण के चलते ऐसा होना कठिन है लेकिन असंभव भी नहीं है। जय समता

– योगेश्वर झाड़सरिया –

क्या जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है ?

जस्टिस पानाचन्द जैन
संरक्षक- समता आन्दोलन समिति

संविधान निर्माताओं ने संविधान में व्यवस्था दी है कि किसी के साथ जतिए रंगए धर्म के नाम पर भोदभाव नहीं होगा। सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म के अनुसार आराधनाए पूजा व उसे मानने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक नागरिक को जीने का मूल अधिकार होगा। संविधान में सामाजिक न्याय को आर्थिक व राजनीतिक न्याय से प्रथम स्थान यानी प्रायोरिटी दी गई थी। दलित के साथ किये गये अन्याय की यह क्षतिपूर्ति का तथा समानता के अधिकार की ओर उठाया हुआ कदम था। यह स्याट है कि सामाजिक न्याय का संबंध आर्थिक न्याय से नहीं है। वर्तमान में सामाजिक प्याय के इस अधिकार के कारण पिछड़ों का एक वर्ग इस आरक्षण के कारण अब पिछड़े नहीं रहे वे क्रिमीलेयर आ चुके हैए पानी आरक्षण से बाहर हो गये। किन्तु यह प्रक्रिया इतनी धीमी रही कि 95 प्रतिशत अभी भी पिछड़े ही है। आरक्षण आवश्यक था और इसे अब तक पूरा हो जाना चाहिये था किन्तु आरक्षण की मांग का विस्तार हो रहा है। रिक्षण की मांग जातिए उपजाति में उठाई जा रही है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित समाजहित व देशहित में समझना है, स्वीकार करना है तथा जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक सुगम, सरल व मान्य मार्ग ढूंढना होगा।

जातिगत आरक्षण को लगभग अभी पार्टियों ने बुरा विचार माना है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा जातीय गणना को विभाजनकारी व विध्वंशकारी तथा खतरनाक बता चुकी हैए किन्तु वहीं पार्टी इसका स्वागत कर रही है। कांग्रेस से कहा भाजपा ने उसका बिचार ही चुरा लिया है। वस्तुत: यदि आरक्षण के इतिहास को देखा जाये तो हमें फलेका कमीशन की रिपोर्ट को समझना होगा। भारत के गृहमंत्री ने कहा है कि यह सच है कि कांग्रेस Anti Reservation है। कांग्रेस ने कमीशन की रिपोर्ट पर अमल नहीं होने दिया। इस रिपोर्ट में भारत के पहले इस बैकवर्ड कमीशन ने 70 प्रतिशत रिजर्वेशन की बात की। यह 1953 की घटना है। इस बाबत राजनैतिक पार्टी के नेताओं में विचारों की भिन्नता है।

इसमें काई शक नहीं है कि देश में कई जगह जातियों के आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं, किन्तु उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। कहते हैं भाजपा के पास आंकडे हैं, किन्तु उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। रोहिणी आयोग भी गठित हुआ किन्तु उसने क्या किया, किसी की पता नहीं है। कोई विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता कि इस आंकड़ों की क्या उपादेयता होगी। राहुल गांधी ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की बात कर रहे है इसके लिये तो संबैधानिक संशोधन लाना होगा। आरंक्षण का अर्थ है सरकारी नौकरी परसु सरकार के पास क्या नौकरियां है? कई प्रकार के विचार वाले लोग इस देश में हैं।

आरक्षण की समस्या का लम्बा इतिहास है। वर्ष 1978 में कपूरी ठाकुर ने बिहार में आर्थिक पिछडेयन के आधार पर आरक्षण को घोषणा की थीए जिसके फ्लस्वरूप राजनीति में एक तुफन आ गया था। इस पर विचार करने व अनुशंसा देने के हेतु मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों के आधार पर 1971 में जनगणना और जाति आधारित गणना के लिये पिछड़ेपन को अपनाया। उस समय आर्थिक पिछड़ेपन की बात छोड दी गई और उन धर्मों को भी अलग कर दिया था जहां जाति व्यवस्था नहीं थी।

आरक्षण को समझने के लिये हमें विधान निर्मात्री सभा की कमेटी के कार्य को समझना होगा और संविधान के अनुच्छेद 334 को स्वरूप देने के प्रक्रिया का अध्ययन करना होगा। विधान निर्मात्री सभा के चेयरपर्सन बाबा साहब डा. अम्बेडकर थे। संविधान के अनुच्छेद 334 में यह व्यवस्था दी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पार्लियामेंट व असेम्बली की सीटें कैसे निर्धारित को जावेगी। अनुच्छेद 334 जो 26.01.1950 को संविधान में था उसके अनुसार यह प्रावधान दिनांक 29.01.1960 को स्वत: ही समाप्त हो जाने की व्यवस्था थी। एक प्रकार से यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्बर का भाग था, जिसमें संशोधन नहीं हो सकेगा। आश्चर्य तो इस बात का है कि संविधान के मूल प्रारूप में (ड्राफ्ट) में यह प्रावधान ही नहीं था। बाबा साहब इस प्रावधान के पक्ष में नहीं थे। अनुसुचित जाति व अनुसूचित जनजाति ने बाबा साहब से प्रतिवेदन दिया प्रार्थना की, इस पर बडी मिन्नत के बाद यह आरक्षण केवल 10 वर्ष तक के लिये रखा गया जो समयावधि के बाद स्वत: ही Sunset Law के अनुसार समाप्त होना था। बाबा साहब ने तो यहां तक कहां था, जो संसद की कार्यवाही के रेकार्ड से अभिव्यक्त है कि 10 वर्ष के बाद एक दिन भी नहीं बढ़ेगा। किन्तु दुभाग्य है कि संविधान की मर्यादा के प्रतिकूल प्रत्येक 10 वर्ष बाद उसे 20, 30, 40,50,60,70,80 वर्ष संविधान में संशोधन से कर दिया जाता है जो सर्वथा असंवैधानिक है। इस सम्बन्ध में चुनौती देने वाली याचिकाचे वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में जेरकार है, किन्तु सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में भी याचिका पेश की थी, उसे भी सुप्रीमकोट भेज दिया गया यदि यह प्रावधान लागु होता तो1960 के बाद की राजनीति में नया रूप आ जाता।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित समाजहित व देशहित में समझना है, स्वीकार करना है तथा जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक सुगम, सरल व मान्य मार्ग ढूंढना होगा।

आरक्षण के विषय में संविधान पीठ के कई निर्णय हुये है। इनका सार है कि अनुच्छेद 16(4) (4ए) (4बी) स्वयं में मूल अधिकार नहीं है केवल Enabling (कार्यकारी) प्रावधान है तथा सरकार आजादी के इतने वर्षों के बाद आरक्षण देने को वाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 16(4)में यह व्यवस्था है कि पिछड़ों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त नहीं है, आरक्षण दे सकती है, किन्तु कौन पिछडा है तथा प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है इसके पर्याप्त व प्रमाणिक आंकड़े अति आवश्यक लिये है। यदि राज्य पिछड़े वर्गों को नियुक्ति के आरक्षण पर विचार करती है तो प्रत्येक केस में अनिवार्य 'कारणों से प्रावधान बनाने से पूर्व संख्यात्मक आंकड़ों से साबित करना होगा कि (1) क्या सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा को तो कोई खतरा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि सरकार आरक्षण संबंधित प्रावधान बनाती है या अधिकार का प्रयोग करती है तो उसे शर्तों की पालना करना अनिवार्य होगा।

(शेष पृष्ठ तीन पर- संवैधानिक मार्ग है?)

पौराणिक कथन: 'गोव्रत'

गोहत्या के प्रायश्चित के रूप में प्रायश्चित प्रदीप्त विधी के अनुसार मात्र गाय का दूध पीकर गोचर भूमि में गाय के साथ विचरते है।

सभी जाति आतंक लौटकर,
अब आया बिन्दास सोचकर।
फिर गिद्धों की मौज बनेगी-
जीमेंगे योग्यता नोचकर।।

कविता

सदा जले समता का दीपक

गूंज उठा था स्वर एक दिन,
जयपुर की उस धरती पर,
11 मई 2008 को,
शुरू हुआ संकल्प अमर।
जात-पात की बेड़ियाँ जब,
मानवता को बाँध गईं,
समता की लौ लेकर निकले,
जोत नई फिर जाग गई।
न था विरोध किसी का सपना,
न था क्रोध किसी पर भारी,
बस चाहत थी इस जीवन में,
हो सबके संग समानता सारी।
न भेदभाव, न ऊँच-नीच,
न पद, न वर्ण का घाव हो,
हर मनुज को अधिकार मिले,
यही समता का भाव हो।
सदियों की जो पीड़ा थी,
आरक्षण की दीवार बनी,
हक छिनता प्रतिभाओं का,
न्याय कहीं लाचार बनी।
उस अंधकार को चीर चला,
इक दीप समर्पण का,
समता आंदोलन बन गया,
स्वर जन-जन के अर्पण का।
हर सभा, हर संवाद में,
उठा एक ही नारा,
अवसर सबको बराबर दो,
हो न्यायपूर्ण उजियारा।
संविधान की आत्मा से,
न्याय को जोड़ा गया,
संघर्षों के पथ पर चलकर,
सच का दीप छोड़ा गया।
सत्रह बरस हुए आज,
फिर भी ज्वाला मंद नहीं,
समता की इस मशाल में,
अब तक थकन की गंध नहीं।
युवाओं में जोश बना है,
बुजुर्गों में आशीर्वाद,
समता आंदोलन बना है,
जन-जन की पहचान आज।
आओ मिलकर हम सब जन,
इस पावन दिन पर प्रण लें,
जहाँ न हो कोई भेद शेष,
उस भारत के सपने बुन लें।
न्याय-समानता-स्वाभिमान का,
यह संग्राम चलता जाए,
समता की जय-जयकार से,
हर कोना गूंजता जाए।

-डॉ नीरज पारीक,अजमेर-

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण न दिए जाने को समानता के सिद्धांत का उल्लंघन बताने वाले लोगों में- विशेषकर राजनीतिक वर्ग में- वे ही लोग हैं, जिनका कहना होता है कि चूँकि सरकारी तंत्र में वे उच्च पदाधिकारी हैं, अत: उन्हें अपने देश के और विदेशों के भी महँगे-से-महँगे अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए- और वह भी सरकारी खर्च पर, जो आम आदमी के लिए एक सपने से भी बड़ी बात होती है! जी हाँ, यही है समाजवाद!

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनेक सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

(शेष पृष्ठ चार से)-

संवैधानिक मार्ग है?

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि (1) किसी भी स्तर पर आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (2) क्रिमीलेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा (3)ओबीसी, एससी एवं एसटी का उपवर्गीकरण यथावत रखना होगा। बैकलॉग नियम 3 वर्ष से अधिक का नहीं होगा (4) चूंकि अनुच्छेद 16 (4) (4अ) (4बी) ही प्रवाहित हुये हैए अत: पदोन्नति में भी आरक्षण के प्रावधान बनाने के लिये वे ही शर्तें लागू करना अनिवार्य होगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष क्रिमीलेयर का प्रश्न कई बार उठाया गया है और यह सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ है कि जो क्रिमीलेयर के हैं उन्हें अनुसूची से बाहर होना चाहिये। ऐसे लोगों का जस्टिस कृष्णा अय्यर ने क्रिमीलेयर के शब्द से स्टेट ऑफ केरल बनाम एन एम थोमस 1976(2) एससीसी 310 में सम्बोधित किया है। एम नागराज बनाम यूनियन ऑफइण्डिया 2006 (8) एमसीसी 1, यूपी पावर कॉरपोरेशन बनाम राजेशकुमार 2012 (7) एससीसी अशोक कुमार ठाकुर के केस 2008 (6) एससीसी आदि निर्णयों में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। मलाई खाने वाले ये व्यक्ति अब आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। पिछडे जो अब तक भी पूर्ववत पिछडे ही हैं उन्हें सामाजिक न्याय मिलना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय आर्थिक आधार पर भी आरक्षण को सही माना है। यह आरक्षण सामाजिक पिछडेपन के आरक्षण के अतिरिक्त है। 103वें संविधान संशोधन से 2019 में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिये 10 प्रतिशत यह आरक्षण है।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कृष्णा अय्यर के माध्यम से 1981 के निर्णय में यह अपेक्षा की है कि ''राज्य की कार्य पद्धति की सफलता इससे आंकी जानी चाहिये कि वह ऐसी व्यवस्था पैदा करे कि अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत आरक्षण की व्यवस्था ही समाप्त हो जावे। यह कोई महान मौलिक अधिकार नहीं है कि कुछ वर्ग शाश्वत रूप से अनन्त काल तक पिछडे ही बने रहें। यह संविधान की मूल भावना के विरूद्ध है।''

इन्द्रा साहनी के केस के बाद कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। राजस्थान में यह आरक्षण 50 प्रतिशत से कम है। सन 1992 से यह स्थिति बनी हुई है, कब तक सुप्रीम कोर्ट इस 50: की सीमा के विषय पर सुनती रहेगा। मुकदमों का अन्त होना चाहिये।

लेखक का अपना मत है कि उपरोक्त निर्णयों में तथा अन्य निर्णयों में माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ जो निर्णय दे चुकी हैए उन पर 10 वर्ष तक पुन: विचार नहीं हो। देश का न्याय सस्ता, सरल व सुलभ हो तथा जिसमें स्थायित्व भी हो। क्रिमीलेयर के निर्णय, 50 प्रतिशत की सीमा के निर्णयों पर सोरीटोरियम लगना चाहिये। हाँ जस्टिस जोवन रेड्डी के तथा तीन न्यायाधीशों के निर्णय के अनुसार जहां असाधारण परिस्थितियों हो वहां सीमा पार की जा सकती है; किन्तु वह भी उन लोगों के लिये जो मुख्य धारा से बाहर है तथा विपरीत परिस्थिति से घिरे हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार की जो विचार धारा 2001, 2011 व 2020 में जनगणना व जातिगत जनगणना के संबंध में थी उसमें परिवर्तन आया है। जनगणना के साथ जातिगत जनगणना हो इस पर जनसभाओं में विचार मंथन होना चाहिये। जातियों की उपजातियों में जो अति पिछडे हैं जिन्हें अब तक कोई महत्व नहीं मिला है और जो असमानता व पिछड़ेपन के अभिश्राप से अधिक पीडित है, उनके बाबत आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय नीति क्या हो, विचार हो। लोगों को सामाजिक न्याय मिले। ऐसी नीति बनाई जावे कि आने वाले 10 वर्षों में पिछड़ापन समाप्त हो।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुट्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, स्वीकार करना है तथा जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक सुगम, सरल व मान्य मार्ग ढूंढना होगा।

भगवान महावीर ने जगत को संदेश दिया था 'अयातुला प्रया सु' अर्थात् जगत के प्रत्येक प्राणी को अपने समान देखो, जैसा तुम्हारा अस्तित्व है वैसा ही अन्य का भी मानो। यह प्रयास सह अस्तित्व की भावना को जागृत करेगा। हमारे संविधान का भी यही संदेश है।

सबको सन्मति दे भगवान !

अगली जनगणना जातिगत जनगणना होगी

आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना का ऐलान- विपक्ष से छीना एक और मुद्दा

नई दिल्ली। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा।

कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में एक साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड.19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था।

2011 तक जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते थे। इनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ केवल एससी और एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखने को रिकॉर्ड किया जाता था। अब जाति जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं।

जातियों की गिनती के लिए एक्ट में संशोधन करना होगा

जनगणना एक्ट 1948 में एससी. एसटी की गणना का प्रावधान है। ओबीसी की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इससे ओबीसी की 2,650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसारए 1,270 एससी, 748 एसटी जातियां हैं। 2011 में एससी आबादी 16.6 प्रतिशत और एसटी 8.6 प्रतिशत थी।

2011 में सामाजिक-आर्थिक गणना हुई, आंकड़े जारी नहीं

मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई थी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने करवाया था। हालांकि इस सर्वेक्षण के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर इसके एससी-एसटी हाउसहोल्ड के आंकड़े ही जारी किए गए हैं।

शाह ने कहा था. जनगणना 2025 में हो सकती है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2024 में कहा था कि जनगणना उचित समय पर होगी, और यह 2025 में शुरू हो सकती है, जिसमें डेटा 2026 तक प्रकाशित हो सकता है।

वैष्णव बोले. कांग्रेस ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, '1947 से जाति जनगणना नहीं की गई। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया। 2010 में दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला नहीं किया।

फैसले पर किसने क्या कहा

* **मल्लिकार्जुन खडगे:-**

मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। ये सही कदम है जिसकी हम पहले दिन से माँग कर रहे थे। मैंने कई बार इसे संसद में उठाया और प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी कई बार जातिगत जनगणना की माँग की है और लोकसभा चुनाव में ये अहम मुद्दा बना। बार.बार प्रधानमंत्री मोदी जी सामाजिक न्याय की इस नीति को लागू करने से बचते रहे और विपक्ष पर समाज को बांटने का झूठा आरोप लगाते रहे। जातिगत जनगणना के अभाव में, सार्थक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधूरा है, इसीलिए ये सभी वर्गों के लिए ज़रूरी है।

* **केशव मौर्य-**

कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है। कांग्रेस केवल कहती है मोदी सरकार करती है। कांग्रेस पार्टी केवल ढोंग कर रही थी।

* **केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय:-**

जाति जनगणना का फैसला दर्शाता है कि सरकार देश और समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

जातिगत जनगणना की मांग कब-कब रही

* 80 के दशक में जातियों पर आधारित कई क्षेत्रीय पार्टियां उभरीं। इन पार्टियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान चलाया। इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले यूपी में बसपा नेता कांशीराम ने की।

* भारत सरकार ने साल 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया। इस सिफारिश को 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। इसके बाद देशभर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए।

* साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया।

* 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी एसईसीसी कराने का फैसला किया। इसके लिए 4 हजार 389 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। लेकिन इसमें जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का यूथ फार इक्वलिटी याचिका पर लिखित फैसला, 27 फीसदी आरक्षण देने का आदेश नही

मध्यप्रदेश में 27 फीसदी आरक्षण को लेकर लंबे समय से जारी कानूनी खींचतान और भ्रम की स्थिति के बीच अब सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक आदेश सामने आ गया है। यह आदेश यूथ फार इक्वलिटी की याचिका पर आया है। यूथ फार इक्वलिटी की हाईकोर्ट जबलपुर और फिर सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई याचिकाओं के बाद दावे किये गये कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 फीसदी आरक्षण ओबीसी को देने का बोल दिया है और अब सारे रोडे हट गए है। क्योंकि इसी याचिका के कारण सरकार ने 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाई हुई थी। और 87-13 फीसदी का फार्मुला आया था। लेकिन इस मामले सुप्रीमकोर्ट का लिखित आदेश अब आया है और इस आदेश से यूथ फार इक्वलिटी की याचिका के तहत 27 फीसदी को लेकर फैला असमंजस दूर होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर यह कहा

युथ फार इक्विलिटी की विशेष अनुमति याचिका डिस्पोज की है लेकिन दो पन्ने के आदेश में लिखा है कि याचिकाकर्ता यूथ फार इक्वलिटी की हाईकोर्ट में एक और याचिका 10310/2019 है, जो अभी भी प्रचलित है। इसे भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रान्सफर की मंजूरी दी जाती है, ताकि अन्य ट्रांसफर याचिकाओं के साथ इसे सुना जा सके। इस 10310 याचिका में 27 फीसदी आरक्षण देने से 50 फीसदी की आरक्षण सीमा खत्म होने पर आपत्ति ली गई है और इसे बाद में 901/19 याचिका के साथ 21 अगस्त 2019 को लिंक कर दिया गया था। हाईकोर्ट द्वारा आदेश केवल इस आधार पर पारित किया गया कि संशोधन अधिनियम को चुनौती नहीं दी जा सकती इसलिए अपीलकर्ता को कार्यकारी आदेश को चुनौती देने के लिए उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यह हम साफ कर देना चाहते हैं कि सभी मुद्दे खुले हुए हैं और इसी अनुरुप इस याचिका का निपटारा किया जाता है

क्या मायने है इसके

जानकारों के अनुसार साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस आरक्षण संबंधी कार्यकारी आदेश को चूनौती देने का आवेदन नए सिरे से करने की छूट दी गई हैए इस याचिका के हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद यही बात उठी थी कि 27 फीसदी आरक्षण देने के आदेश पर लगी रोक अब हट गई हैए लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफकर दिया है कि याचिकाकर्ता नए सिरे से इस आदेश को फिर चुनौती दे सकता है और उनकी दूसरी याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ ट्रांसफर कर लिया है और साथ ही यह भी खुलकर कहा है कि सभी मुद्दे खुले हुए हैं,यानि इन ट्रांसफर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, और उधर हाईकोर्ट जबलपुर ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चल रही सुनवाई को देखते हुए फिलहाल सुनवाई अभी रोक दी है। इस पर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और उन्होंने सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करवाया है।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने सुप्रीमकोर्ट को कहा था कि यूथफर इक्वलिटी नामक संस्था केवल नाम मात्र की एनजीओ है जबकि उसकी कार्यशैली पूरी तरह राजनैतिक है। यह संस्था देशभर में आरक्षित वर्गों की योजनाओं को कानूनी पेचीदगियों में फंसा कर रोकने का षड़यंत्र करती रहीहै। खासतौर पर प्रोफेसर डा. गिरिश कुमार सिंह के शपथपत्र का उल्लेख करते हुये यह भी बताया गया कि संस्था का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बाधित करना है।

अब होगा क्या 27 फीसदी पर

मध्यप्रदेश सरकार और सीएम डॉ. मोहन यादव ने आगे बढकर कहा है कि संवाद के जरिए इसे सुलझाएंगे, याचीकाकर्ताओं से भी बात करेंगे। उधर सरकार कई बार हाईकोर्ट में कह चुकी है कि वह 27 फीसदी आरक्षण देना चाहते है। उधर विभाग स्तर पर चल रही अंदरुनी फाइलों में है कि अभी कई याचिकाओं में विवाद है और स्टे है, इसके चलते फिलहाल 87-13 फीसदी को जारी रखा जाए, जब तक कोर्ट से 27 फीसदी को लेकर स्पष्ट आदेश नहीं आ जाए। इसी के चलते पुलिस सिपाही का रिजल्ट एक महीने तक रोके रखा गया था और इस पर सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभागके बीच लंबी चर्चाओं का दौर चला था और तय यही हुआ कि अभी 87-13 फीसदी पर ही रिजल्ट जारी किए जाएंगे और 27 फीसदी अभी होल्ड ही रहेगा।

धर्म परिवर्तन पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाएगा : हाईकोर्ट

विजयवाड़ा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोग धर्म बदलने के क्षण से अधिनियम के तहत प्रदत्त सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। अक्कला रामी रेड्डी नामक व्यक्ति ने पादरी चिंताडा आनंद द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आनंद ने आरोप लगाया कि रेड्डी ने जातिसूचक गाली का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया, पुलिस ने एससी-एसटी मामलों के लिए एक विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। न्यायमूर्ति एन हरिनाथ ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह पिछले 10 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है,तो पुलिस को उसके खिलाफ एससी-एसटी अधिनियम नहीं लगाना चाहिए था।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in